अनुमण्डलीय न्यायालय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0एस0 सं0–814 / 2023

03.05.2024

उभय पक्ष की पैरवी है। प्रस्तुत वाद वादी की तरफ से शपथ पत्र के साथ दाखिल आवेदन दिनांक–20.01.2024 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 वो दफा 151 सी0पी0सी0 एवं उक्त आवेदन के आलोक में प्रतिवादी बिहार सरकार की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–16.02.2024 एवं प्रतिवादी सं0–3 मुखिया ग्राम पंचायत कैथी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–22.03. 2024 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई के उपरान्त आदेश हेतु नियत हैं।

आदेश

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा यह घ ोषित करने के लिए लाया गया है कि वाद पत्र के जमीमा नंबर 2 में वर्णित एराजी वादी की बंदोबस्ती एराजी है जिस पर वादी लगातार 85 वर्षो से दखल कब्जा में चला आ रहा है। जिस कारण उक्त एराजी पर उसका मालिकाना हकीयत कायम हो चुका है। उक्त एराजी में प्रतिवादीगण के द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र बनाने से तथा वादी के दखल कब्जे में छेड़–छाड़ करने से रोक लगाने हेतू लाया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि अर्जी दावी में वर्णित एराजी मुदई के दखल कब्जा वाली एराजी है। जिसे पुराने मालिक डुमरॉव राज के द्वारा सन् 1945 में वादी के पिता को जवानी बंदोबस्त कर दिए जिसका वर्णन वाद पत्र के जमीमा नंबर 1 में दिया गया है। उक्त एराजी पर वादी के पिता सन् 1938 से ही शांतिपूर्वक बिहार सरकार के जानकारी में दखल कब्जे में चले आ रहे थे। उक्त एराजी के बगल में काली मंदिर एवं महावीर जी का मंदिर स्थित है जहां गांव के लोग वादी द्वारा लगाये गये बगीचे में बैठ कर कीर्तन पूजा–पाठ करते हैं। गांव के मुखिया ग्राम पंचायत कैथी के द्वारा चुनावी रंजीश के कारण उक्त एराजी पर अंचल कार्यालय में ठोस एवं तरल अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र बनाने की अनुशंसा की गयी है। उक्त अनुशंसा के आलोक में अंचलाधिकारी ब्रहम्पुर द्वारा वादी को इस आशय की सूचना दी गई थी कि वह अनाधिकृत रूप से उक्त एराजी पर अतिक्रमण किया है तथा उक्त भूमि को शीघ्र ही खाली करने का आदेश दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वादी का उक्त जमीन पर वर्षो से दखल कब्जा चला आ रहा है। उक्त जमीन को डुमरॉव महाराज के द्वारा उसे जवानी बंदोबस्त किया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित एराजी पर किए जाने निर्माण से वादी को अपूरणीय क्षति होगी, सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया मामला

वादी के पक्ष में बनता है। अतः विद्वान अधिवक्ता उक्त एराजी पर निषेधाज्ञा आदेश पारित कर किए जा रहे निर्माण कार्य को रोकने की प्रार्थना करते हैं।

प्रतिवादी बिहार सरकार के विद्वान अधिवक्ता का अपने प्रतिउत्तर दिनांक–16.02.2024 पर सुनवाई के दौरान कहना है कि वादी के द्वारा दाखिल आवेदन कानूनतः एवं तथ्यतः चलने के काबिल नहीं है। उनका कहना है कि विवादित एराजी गैर मजरूआ एराजी थी जिसका हाल सर्वे खतियान बिहार सरकार के नाम से सर्वे विभाग ने मौजा स्थल का मुआयना करके बिहार सरकार सर्व साधारण के नाम खतियान तैयार किया है जिसकी जानकारी मुदई को एवं उनके पूर्वज को पहले से ही रही है। वादी जान बूझकर बिहार सरकार की एराजी को हड़पना चाहता है। वादी के द्वारा अपने आवेदन के संबंध में कोई ठोस सबूत दाखिल नहीं किया गया है। मुदई का आवेदन प्रथम दृष्टया सही नहीं है। सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति की कोई संभावना वादी के विरूद्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता वादी के निषेधाज्ञा आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना करते है।

प्रतिवादी सं0–3 मुखिया ग्राम पंचायत कैथी के द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–22.03. 2024 पर उनके विद्वान अधिवक्ता का सुनवाई के दौरान कहना है कि वादी का आवेदन कानूनन पोषणीय नहीं है। विवादित एराजी गैर मजरूआ एराजी थी जिसका हाल सर्वे खतियान सर्व साधारण आम के नाम सही तैयार हुआ है। उक्त भूमि में 40 X 40 फीट का कचड़ा प्रबंधन हेतू स्वच्छता अभियान के तहत गांव को स्वच्छ रखने के लिए सरकार के द्वारा प्रदत है। वादी के द्वारा आम जन जीवन को तहस नहस करने के लिए एवं मुखिया को तंग परेशान करने के लिए यह आवेदन दाखिल किया गया है। विवादित एराजी के संबंध में अंचलाधिकारी के द्वारा मांग पर वादी द्वारा कोई ठोस सबूत दाखिल नहीं किया गया है। वादी के विरूद्ध संबंधित वादग्रस्त एराजी के निस्वत अतिक्रमण की भी प्रक्रिया की गयी है जिसे वादी द्वारा छिपा दिया गया है। वादी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति की संभावना नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता वादी के आवेदन को खर्चा के साथ खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा वाद पत्र में वर्णित एराजी मौजा कैथी थाना नंबर 263 जिला बक्सर जिसका पुराना खाता 283, पुराना खेसरा 1793 में उत्तर कुल रकबा 30 डी0 तथा हाल सर्वे नया खाता 719 नया खेसरा 2549 कुल रकबा 30 डी0 एराजी के निस्वत यह वाद लाया गया है। उक्त वाद में वादी का दावा है कि वाद पत्र में वर्णित जमीमा नंबर 2 के एराजी को उसके दखल कब्जे की एराजी है। जिस पर वह करीब 85 वर्षो से शांतिपूर्वक दखल कब्जा में चला आ रहा है तथा उकत एराजी पर प्रतिवादीगण के द्वारा

ठोस एवं तरल अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र बनाने से रोक हेतू तथा उकत एराजी पर अपना हकियत घोषित कराने हेतू लाया गया है।

किसी भी वाद में निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व निम्न तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है–

1. **प्रथम दृष्टया मामला**– यह वाद वादी के द्वारा इस आधार पर लाया गया है कि पूर्व जमींदार महाराज डुमरॉव के द्वारा विवादित एराजी को उसे जवानी बंदोबस्ती की गयी थी तथा उसके पिता द्वारा सन 1938 से ही उक्त एराजी पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा रहा है। वादी के द्वारा जबानी बंदोबस्त से संबंधित कोई दस्तावेज अभिलेख पर दाखिल नहीं किया गया है। विवादित एराजी जिसका मौजा कैथी पुराना खाता नंबर 283 पुराना खेसरा 1793 रकबा 30 डी0 का पुराना खतियान भी गैर मजरूआ आम की एराजी तथा हाल सर्वे खतियान जिसका खाता नंबर 719 खेसरा नंबर 2549 है सर्व साधारण के नाम से बना है। वादी के द्वारा कोई भी जमींदारी रिटर्न अभिलेख पर दाखिल नहीं किया गया है। विवादित एराजी पूर्व से ही गैर मजरूआ एराजी थी जिसको बंदोबस्त करने का अधिकार पूर्व जमींदार को भी नहीं था। वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में हकियत एवं एडभर्स पोजेसन दोनों के आधार पर दावा किया गया है जो कि उचित नहीं है। वादी द्वारा उसका एडभर्स पोजेसन शांतिपूर्वक रहा है इसका कोई प्रमाण वादी के द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। विवादित स्थल पूर्व में गैर मजरूआ आम थी तथा बाद में हाल सर्वे खतियान सर्व साधारण बिहार सरकार के नाम से बना। वादी को इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद भी इस संबंध में कहीं भी आपत्ति व्यक्त नहीं किया गया है। विवादित एराजी का उपयोग आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता अभियान के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र बनाने हेतू किया जा रहा है। इससे आम जनता को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। जहां तक वादी का कथन विवादित एराजी के बगल में मंदिर का है तो इस संबंध में वादी के द्वारा दाखिल फोटोग्राफ से स्पष्ट पता चलता है कि मंदिर विवादित एराजी से दूर हट कर है। विवादित एराजी को हड़पने के लिए वादी द्वारा अतिक्रमण किया गया है जैसा कि प्रतिवादी के प्रतिउत्तर से स्पष्ट पता चलता है। विवादित एराजी पूर्व में भी बिहार सरकार की थी एवं वर्तमान में भी बिहार सरकार की है एवं बिहार सरकार लोक कल्याण हेतू उक्त एराजी के निस्वत कोई भी कार्य करा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से कोई प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में बनता प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला भी वादी के विरूद्ध बनता है।

2. **सुविधा का संतुलन**– विवादित एराजी का हाल सवे खतियान सर्व साधारण के नाम पर बना है तथा पूर्व में भी उक्त एराजी गैर मजरूआ आम के नाम पर भी थी। इस प्रकार उक्त एराजी बिहार सरकार की एराजी है। सरकार की ओर से स्वच्छता अभियान के तहत लोक

कल्याण के उद्देश्य से किए जा रहे विनिर्माण कार्य से वादी को किसी प्रकार की असुविधा की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी वादी के विरूद्ध बनता है।

3. अपूरणीय क्षति– विवादित स्थल के निस्वत वादी अपना कोई ठोस दस्तावेज दाखिल नहीं किया है। वादी के द्वारा सिर्फ जबानी बंदोबस्त की बात कही गई है। वादी के द्वारा विवादित स्थल के हकियत से संबंधित कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। विवादित एराजी पर वादी के द्वारा गैर कानूनी ढंग से अतिक्रमण की बात कही गयी है। सरकार के द्वारा कूड़ा प्रबंधन हेतू उक्त जमीन पर निमार्ण करने से वादी को किसी प्रकार की क्षति पहुंचने की संभावना नहीं है जिसकी पूर्ति बाद में नहीं की जा सकती है। अतः अपूरणीय क्षति की संभावना भी वादी के विरूद्ध बनता प्रतीत होता है।

इस प्रकार संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त एवं न्यायहित में वादी के आवेदन दिनांक– 20.01.2024 को अस्वीकृत किया जाता है। इस आदेश का प्रभाव वाद के अंतिम आदेश पर प्रभावी नहीं होगा।

दिनांक–..... वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

(रघुबीर प्रसाद)
सब जज–तृतीय